

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

उमेश

बनाम

रामलाल

स्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 38/2022

रीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

24/01/22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती

उमेश व रामलाल जी देवगानी, नीरवदेशी

श्री शतेन्द्र जी दोशी, महेश कुमार, प्रवीप कुमार

पिता श्री रामचन्द्र जी सिन्धी

निवासी-

चित्तौड़गढ़

तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम

चित्तौड़गढ़

स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर

3079/2, 3081/1/1, 3081/1/1/2, 3081/1/1/3, 3081/1/1/4, 3083/3/1, 3081/1/1/5

3083/3/2

कुल कीता 8 कुल रकबा 0.5568 है० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम

चित्तौड़गढ़

स्थित खातेदारी की भूमि आराजी

नम्बर 3079/2, 3081/1/1, 3081/1/1/2, 3081/1/1/3,

3081/1/1/4, 3083/3/1, 3081/1/1/5, 3083/3/2

कुल कीता 8 रकबा 0.5568 है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 500=00 रूपये अक्षरे पत्रावली रकबा प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।

(रामचन्द्र सिन्धी)

सहायक कलेक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौड़गढ़ (राज.)



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़

क/सरिस्ता/प्रा.पत्र 38/2024/46

दिनांक 25/01/22

तहसीलदार
चित्तौड़गढ़

विषय : पत्थरगढ़ी करने के सम्बन्ध में।

- प्रकरण :
- 1- उमेश पिता शामलाल जी देवगानी R10 पुराणगाँव चित्तौड़गढ़
 - 2- नीरव दोशी S10 राजेन्द्र जी दोशी R10 खैती चित्तौड़गढ़
 - 3- मोहेश कुमार S10 रामचन्द्र सिन्धी R10 गाँधीनगर चित्तौड़गढ़
 - 4- प्रदीप कुमार S10 रामचन्द्र सिन्धी R10 गाँधीनगर चित्तौड़गढ़

वजाम

— पुराणगाँव

- 1- शामलाल S10 हमेरा जी कठारा R10 चामरीका चित्तौड़गढ़
- 2- वसु उर्फ दीनापत्नी कन्हैयालाल जी कठारा R10 व०
- 3- हज्जलाल S10 हमेरा जी कठारा R10 व०
- 4- सरदार जरिर तहसीलदार चित्तौड़गढ़

— उविध.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट

उपरोक्त विषयाकित अनवान के प्रकरण में ग्राम चित्तौड़गढ़ खतौनी सं. 690

सम्बत् 2068-2071 में अकित आराजी नम्बर 3079, 3081/1/1, 3081/1/12, 3081/1/13
3081/1/14, 3083/3/11, 3081/1/15

3083/3/2 कुल किता 8 रकबा 0.5568 है. भूमि की नियमानुसार मौके पर विवाद रहित पाये जाने पर कब्जे में दखलन्दाजी किये बिना पक्षकारों को सूचना देकर सीमाकन (पत्थरगढ़ी) कर दिया जावे। खर्चा कमिश्नर शुल्क रुपये 500=00 अक्षरे पन्च लौ रज्यर मात्र प्रार्थी वहन करेगें। पालना रिपोर्ट न्यायालय में (15 दिवस में) शीघ्र भिजावे।

(रजम सुन्दर बिलोई)
उपखण्ड अधिकारी
उपचिन्तौड़गढ़
(चित्तौड़गढ़ (राज.))